

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

आदेश

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के अर्द्धसरकारी पत्रांक 1133 दिनांक 02.07.14 एवं अर्द्धसरकारी पत्रांक 1753 दिनांक 15.07.14 के आलोक में दिनांक 01 से 15 अगस्त 2014 तक संलग्न तालिका के अनुसार जिला के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को माह जून 14 तक सभी लंबित पेंशन की राशि का वितरण पंचायतों में शिविर आयोजित कर किया जायेगा।

पेंशन वितरण हेतु सभी पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत राशि का स्थानान्तरण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के बैंक खाते में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा 25 जुलाई 14 तक कर दिया जायेगा।

पंचायत स्तरीय शिविर में पेंशन वितरण के कार्य में पंचायत सचिव के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी विकास मित्र एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक को भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

पेंशन वितरण से संबंधित शिविर का आयोजन पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, विद्यालय आदि में किया जायेगा। पेंशन वितरण की संपूर्ण जानकारी और कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधियों (मुखिया), वार्ड के प्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला पार्षद, माननीय विधायक, विधान पार्षद तथा सांसद) को अवश्य दी जाय, एवं उन्हें पंचायत में पेंशन वितरण के दिन आमंत्रित किया जाय। निर्धारित वितरण तिथि के दिन राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी वितरण हेतु राशि एवं शिविर आयोजन स्थल की तैयारी वितरण की तिथि से पूर्व ही कर लें।

पेंशन वितरण के उपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी वितरित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र 42 A में 25 अगस्त 2014 तक सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, औरंगाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि इसे 30 अगस्त 2014 तक सरकार को भेजा जा सकें।

सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी पेंशन वितरण शिविर की तैयारी की अपने स्तर से समीक्षा करेंगे एवं इसका सफल आयोजन अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद एवं दाउदनगर अपने अनुमंडल के संपूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे एवं निर्धारित तिथि को पेंशन वितरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

पेंशन वितरण शिविर के मुल्यांकन के लिए अनुग्रह नारायण समाज अध्ययन संस्थान, पटना के सहयोग से मुल्यांकन दल भी भेजा जायेगा ताकि पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य को सम्पन्न कराया जाय।

सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजना समाज के निस्सहाय, वृद्ध, विधवा एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए है। अतः आशा कि जाती है कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अभिरुची लेंगे एवं पेंशन वितरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन करायेगे।

विश्वासभाजन

19/7/2014  
सहायक निदेशक  
सामाजिक सुरक्षा  
औरंगाबाद

जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद।

ज्ञापाक 217

/सा0सु0 दिनांक 19-7-14

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/उप विकास अधिकारी एवं अपर समाहर्ता औरंगाबाद/L.D.M औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

19/7/2014  
सहायक निदेशक  
सामाजिक सुरक्षा  
औरंगाबाद।

जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 217 / सा0सु0 दिनांक 19-7-14

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक  
सामाजिक सुरक्षा  
क.04 औरंगाबाद।  
19-7-14

जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 217 / सा0सु0 दिनांक 19-7-14

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 औरंगाबाद को पेंशन वितरण कार्यक्रम जिला के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक  
सामाजिक सुरक्षा  
क.04 औरंगाबाद।  
19-7-14

जिला पदाधिकारी  
औरंगाबाद।

